

✓ 2. राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम (एन.एफ.बी.एस.)

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों में मुख्य आजीविका कमाने वाले ऐसे सदस्य पुरुष या स्त्री जिसकी आयु 18 से 64 वर्ष के मध्य हो की मृत्यु हो जाने पर 10,000/-रु० की सहायता राशि सम्बन्धित परिवार को प्रदान करने का प्रावधान है।

इस योजना के अन्तर्गत परिवार को तभी लाभ दिया जाएगा, यदि मृतक परिवार के लिए मुख्य आजीविका कमाने वाला/वाली हो। मुख्य आजीविका कमाने वाले सदस्य का निर्धारण करते समय मृतक का गैर धन अर्जन योगदान जैसेकि उनका घरेलू कार्य में योगदान इत्यादि को दृष्टिगत रखा जाता है।

योजना के अन्तर्गत लाभ कैसे प्राप्त करें।

1. प्रभावित परिवार के सदस्य को मृतक से सम्बन्धित विकरण प्रपत्र पर दावे के रूप में प्रेषित करना होता है।
2. दावे हेतु प्रपत्र पंचायत के कार्यालय से मुफ्त प्रदान किया जाता है।
3. दावे का यह प्रपत्र सम्बन्धित पंचायत के पदाधिकारी की सिफारिश किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है।
4. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी प्रभावित परिवार को योजना के अन्तर्गत सहायता राशि का भुगतान चैक द्वारा करेगा तथा जिसने यह सहायता राशि प्राप्त की हो उससे अनुदान राशि प्राप्ति की रसीद लेगा।